न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 74 / 2018
निर्णय दिनांक : 10.04.2019

1. बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री छीतरमल चौधरी जाति जाट निवासी प्लाट संख्या 1 व 2, शिव चौधरी नगर, ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर

...वादी

बनाम

1. खालिद रजा खां पुत्र साबिर रजा खां
2. शकील अहमद पुत्र बशीर अहमद
   समस्त जाति मुसलमान निवासी मोर्डन गृह फर्नीचर, किरण पथ के सामने, मान्यावास, जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

वाद का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि हाल खाता संख्या 78 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 326 / 437 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 336 / 436 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर वाके ग्राम नन्दकिशोर पुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी का हिस्सा 1 / 2 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1 / 4 व प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 1 / 4 राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त आराजीयात का आज तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ परन्तु वादी व प्रतिवादी संख्या एक व दो मनबंट के आधार पर बटवारा कर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा वादी ने अपनी हिस्से की भूमि के चारों ओर तार बाउण्डरी बना रखी है तथा वादी ने अपनी आराजीयात को काफी धन व श्रम खर्च कर उपजाउ बना रखा है। तथा अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग में लेता आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या एक व दो को कई बार उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आये दिन कोई न कोई बहाना बनाकर विधिवत बटवारा करने से इनकार करते रहते है। वकील वादी ने वादी का हिस्सा 1 / 2 का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर व कब्जे अनुसार बंटवारा करने की इस्तदुआ की है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। दिनांक 10.03.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 31.03.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से भी वकालतनामा पेश किया गया। दिनांकं 22.06.2016 को वकील प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि हाल खाता संख्या 78 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 326 / 437 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 336 / 436 रकबा 0.19 है0 में वादी एंव प्रतिवादी संख्या एक व दो का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है एवं वादी द्वारा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। प्रतिवादी 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। अतः दिनांक 22 / 06 / 2016 को वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री जारी की गयी।

दिनांक 22 / 06 / 2016 को डिक्री जारी कर विवादित आराजीयात को कब्जे काश्त एवं मीट्स एण्ड बाउन्डस व मौके व हिस्सेनुसार विधिक विभाजन कर अलग–अलग खाता व दर हिस्सा व लगान का निर्धारण कर तहसीलदार सांगानेर को कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

प्रतियों में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक एल0आर0/डिक्री/16/5799 दिनांक 07/10/2016 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे के भिजवायी गयी जो शामिल मिसल की गयी। कुरेजात रिपार्ट पर वकील वादी की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस कुरेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 अन्तिम डिक्री किया जाकर तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादी के हाल खाता संख्या 78 की आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 326/437 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 336/436 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.27 हैक्टेयर वाके ग्राम नन्दकिशोर पुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म वर्ग	लगान	रंग
1	नन्द किशोर पुरा उर्फ भोज्यावास	खालिद रजा खॉ पुत्र साबिर रजा खॉ 1/2, शकील अहमद पुत्र बशीर अहमद हि0 1/2 निवासी जयपुर	326/437 336/436	0.04 0.0950	चाही –2 चाही –2	1.44 3.42	काला
			2	0.1350		4.86	
2.	नन्द किशोर पुरा उर्फ भोज्यावास	बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री छीतरमल चौधरी जाति जाट निवासी प्लाट संख्या 1 व 2, शिव चौधरी नगर, ग्राम मान्यावास	326/581 336/582	0.04 0.0950	चाही –2 चाही –2	1.44 3.42	सफेद
			2	0.1350		4.86	
		कुल	4	0.27		9.72	

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास श्री घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 74/2018

1. बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री छीतरमल चौधरी जाति जाट निवासी प्लाट संख्या 1 व 2, शिव चौधरी नगर, ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर

...वादी

बनाम

1. खालिद रजा खां पुत्र साबिर रजा खां
2. शकील अहमद पुत्र बशीर अहमद
समस्त जाति मुसलमान निवासी मोर्डन गृह फर्नीचर, किरण पथ के सामने, मान्यावास, जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है । वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादी के हाल खाता संख्या 78 की आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 326/437 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 336/436 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.27 हैक्टेयर वाके ग्राम नन्दकिशोर पुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म वर्ग	लगान	रंग
1.	नन्द किशोर पुरा उर्फ भोज्यावास	खालिद रजा खॉ पुत्र साबिर रजा खॉ 1/2, शकील अहमद पुत्र बशीर अहमद हि0 1/2 निवासी जयपुर	326/437 336/436	0.04 0.0950	चाही –2 चाही –2	1.44 3.42	काला
			2	0.1350		4.86	
2.	नन्द किशोर पुरा उर्फ भोज्यावास	बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री छीतरमल चौधरी जाति जाट निवासी प्लाट संख्या 1 व 2, शिव चौधरी नगर, ग्राम मान्यावास	326/581 336/582	0.04 0.0950	चाही –2 चाही –2	1.44 3.42	सफेद
			2	0.1350		4.86	
		कुल	4	0.27		9.72	

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.04.2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत (उप-खण्ड अधिकारी)

ओहदा (जयपुर (द्वितीय))

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)